

उत्तर प्रदेश शासन  
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1  
संख्या-75 /2017/3966 /सत्ताईस-1-2017-5(2)/17 टी0सी0-1  
लखनऊ: दिनांक: 05 दिसम्बर, 2017

कार्यालय-आदेश

एतदद्वारा जनहित/कार्यहित में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग(सिविल) संवर्ग के निम्नलिखित नवप्रोन्नत अधीक्षण अभियन्ताओं को उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित पद/स्थान पर तैनात/पदस्थापित किया जाता है:-

क्र0 सं0	अभियन्ता का नाम (सर्वश्री)	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान
1	2	3	4
1	सिद्धार्थ कुमार सिंह	नवप्रोन्नत	सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लखनऊ। ✓
2	विजय कुमार	नवप्रोन्नत	वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(सोन), वाराणसी।
3	संजय कुमार	नवप्रोन्नत	वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(सरयू-1), फैजाबाद।
4	हिमांशु कुमार	नवप्रोन्नत	अधीक्षण अभियन्ता, बेसिन प्लानिंग विशेषज्ञ, स्वारा, लखनऊ। (शासन के आदेश सं0- 54/2017/2214/सत्ताईस-1-2017- 7(1)/17टी0सी0, दिनांक 31.07.2017 द्वारा श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता(बेतवा), झांसी को सौंपे गये अतिरिक्त कार्यभार सम्बन्धी आदेशों को निरस्त करते हुए)
5	अवधेश कुमार शर्मा	नवप्रोन्नत	वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लखनऊ। ✓
6	ज्ञानेन्द्र शरण	नवप्रोन्नत	गुण नियंत्रण मण्डल, कानपुर।
7	शरद कुमार सिंह	नवप्रोन्नत	सिंचाई कार्य मण्डल, इलाहाबाद।
8	कृष्ण मोहन कंसल	नवप्रोन्नत	मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल, मुरादाबाद।

✓

(PTO)


9	राम प्रताप सिंह	नवप्रोन्नत	मूल्य नियंत्रण प्रकोष्ठ, लखनऊ।
10	ललित कुमार सिंह	नवप्रोन्नत	ड्रेनेज अनुश्रवण मण्डल, लखनऊ।


सुरेश चन्द्रा,  
प्रमुख सचिव।

संख्या: 75 /2017/ 3966 (1)/सत्ताईस-1-2017-तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
2. प्रमुख अभियन्ता परिकल्प एवं नियोजन/प्रमुख अभियन्ता, परियोजना, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता, कार्मिक (अधिष्ठान 1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा मुख्य अभियन्ता, कार्मिक (अधिष्ठान 1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
6. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा मुख्य अभियन्ता, कार्मिक (अधिष्ठान 1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियन्ता, कार्मिक (अधिष्ठान 1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
8. समस्त अनुभाग।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(ओ०पी० सिंह)  
अनु सचिव।

ck  
  
मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-1/3)